



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | EAST CHAMPARAN

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना

प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

GK MEMORIAL SCHOOL

GK MEMORIAL SCHOOL, CHHAPRA BAHAS SUGOLI

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education - RTE), 2009 की धारा 19 के प्रवोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रसवीकृति का प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक, 22-10-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण एवं जिला स्तरीय निरीक्षण समिति के बैठक दिनांक : 0 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय GK MEMORIAL SCHOOL, CHHAPRA BAHAS SUGOLI, CHHAPRA BAHAS SUGOLI, 845435 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षों 0 से 22-10-2024 अर्थात् के लिए औपचारिक प्रसवीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रसवीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रसवीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।
5. संसाधन / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन कीमत नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक को व्यक्तिगत दंड नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, अन्ध स्त्री आदि कारकों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे, :

- (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
- (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा।
- (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
- (vi) शिक्षण का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उसके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
- (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शैक्षणिक दायित्व का निर्वहन करेगा।
- (viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं का अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः

Amended

Pop BP
Principal
GK Memorial School
Chhapra Bahas, Motihan

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 5 ACRE विसर्जित

(iii) खेल के मैदान के क्षेत्र :- DRINKING WATER, TOILETS, PLAY GROUND, OFFICE

(iv) बगीचे की कुल संख्या :- 10

(v) प्रयत्नाध्यक्षक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 7

(vi) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 6 , Girls 6

(vii) पेयजल की सुविधा :- 10

(viii) सप्लायिंग मोजल के लिये रसोई घर :- 2

(ix) बाधारहित पहुँच, [] :-

(x) शिक्षण अधिमान सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/ पुस्तकालय :- WHITE BOARD AND GREEN BOARD, SMART BOARD, GLOBE, ATLAS, INDIAN MAPS, COMPUTER, CCTV, CHART, LECTURE DESK, CRICKET PRACTISE KIT, LUDO, BADMINTON, CARROM BOARD, CHESS, HOKEY, FOOT BALL, SKIPPING, BASKET BALL, CHAINIS CHENKAR ETC , (Y , 725 , NewsPaper MagaZine:- 9)

11. कोई भी अनुमोदित कर्मका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से सेवा प्रदान नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा शैक्षणिक विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्धारित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संबंध अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आशोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी संचार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रमाणीकृति कोड संख्या [204103420211022105708, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का संचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर "मॉग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रमाणीकृति की शर्तों के समानांतर रूप से प्राप्त करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्मित अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाइटी के निर्माण के सर्वोत्तरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुसूचक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

संभाग प्रभारी
A & ST/ RTE/ ECCE
बिहार शिक्षा परियोजना
पूर्वी चम्पारण, मोतीहारी

APR 06/6/22
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्राथमिक एवं समग्र शिक्षा
बिहार शिक्षा परियोजना
पूर्वी चम्पारण, मोतीहारी

विभागाध्यक्ष
जिला शिक्षा पदाधिकारी, EAST CHAMPARAN
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

NOG-LETTER

Principal
GK Memorial School
Chapra Bahas, Motihan

Amrinder